

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,

सौ-विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-02.

सं0फा0 05(15)/2014-15-क0सं0 एवं भाषा/ 200-250
सेवा में,

दिनांक: 11/1/18

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त निदेशक, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
7. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली।
8. सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, माया मुनि राम मार्ग, पीतम पुरा, दिल्ली-88.
9. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष/महाप्रबंधक, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, नई दिल्ली।
11. हिन्दी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झंडेवालान, नई दिल्ली।
12. प्रबंधक (भा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02.
13. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
14. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: हिन्दी टाइप/हिन्दी आशुलिपि कक्षाओं का गठन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी टाइपिस्टों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग हिन्दी टाइप/हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देता है ताकि दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने में कोई असुविधा न हो।

हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष तथा हिन्दी टाइप प्रशिक्षण की अवधि छह माह तथा समय एक घंटा प्रतिदिन (कार्यदिवसों पर) होगी। अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय से हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइप सीखने के इच्छुक कर्मचारियों के नाम दिनांक 19.01.2018 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें, ताकि 29.01.2018 से कक्षाएं प्रारंभ हो सकें। प्रशिक्षण के लिये नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि जानकारी में आया है कि कुछ कर्मचारी प्रशिक्षण लेने के लिये अपने कार्यालय से चल पड़ते हैं लेकिन कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए उनके विभागों को लिखा जायेगा। सेवाएं-III विभाग के दिनांक 09.05.2014 के परिपत्र सं0फा0 14(3)/2014/टी.टी./सेवा-III/1101 के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की टाइप और आशुलिपि परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाये :-

- (1) प्रशिक्षण के पश्चात् परीक्षा हेतु कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग केवल दिल्ली सरकार के ग्रेड-4(दास)/ग्रेड-3 आशुलिपिकों के नाम सेवा-3 विभाग को भेजेगा।
- (2) परीक्षा हेतु अन्य संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के नाम उनका संबंधित विभाग प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, मुनि माया राम मार्ग, दिल्ली-88 को सीधे भेजेगा। प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय संस्थानों/स्वायत्त निकायों के परीक्षार्थियों के परिणाम उनके भर्ती नियमों के अनुसार तैयार करके संबंधित विभाग को सीधे भेजेगा।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in पर देखी जा सकती है।

भवदीय

(बी0 एस0 वशिष्ठ)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 11/1/18

सं0फा0 05(15)/2014-15-क0सं0 एवं भाषा/ 251-252

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. हिन्दी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र, कमरा नं0 20 दूसरी मंजिल, ओल्ड सिविल सप्लाय बिल्डिंग, तीस हजारी, दिल्ली।
2. कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की वेबसाइट में डालने के संदर्भ में।

(बी0 एस0 वशिष्ठ)

उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दूरभाष संख्या: 23392307